कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

Gmail ID – dpobemetara@gmail.com   दूरभाष कमांक 07824–296013

// विज्ञापन //

क्रमांक / 1993 / म.बा.वि. / सा.वि. / 2026–27   बेमेतरा, दिनांक 14.05.2026

जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowerment of Women) अन्तर्गत कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर का पत्र **पत्र क्र. /3104/मबावि/सावि/2025–26 नवा रायपुर दिनांक 11.02.2026** द्वारा **जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र अंतर्गत आई. टी. असिस्टेंट के 01 पद एकमुश्त/संविदा वेतन पद के सृजन** एवं इनके **भरे जाने की स्वीकृति प्रदान** की गई है। तद्नुसार निम्नांकित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन पर निम्नांकित पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 15.05.2026 से 29.05.2026 को शाम 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा जिला बेमेतरा में आमंत्रित किए जाते है :–

पदनाम	पद की संख्या	निर्धारित मासिक वेतनमान	पद का विवरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन के मापदण्ड
आई. टी. असिस्टेंट	01	20900	अनारक्षित	07	• कम्प्यूटर/आई.टी. क्षेत्र में स्नातक उपाधि • डाटा प्रबंधन/ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिर्पोटिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव

2. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण :–

- मिशन शक्ति अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र के पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण कमांक 1 की सारणी के कॉलम कमांक 05 मे उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- इन कर्मियों का अवकाश राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एंव अन्य शर्ते :–

3.1. उपरोक्त पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार होगी :–

क्रं.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	आई. टी. असिस्टेंट	कम्प्यूटर/आई.टी. क्षेत्र में स्नातक उपाधि	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम. एस. आफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता।	डाटा प्रबंधन/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिर्पोटिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव

टीप :– शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अहैता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए। **आवेदन पत्र www.bemetara.gov.in वेबसाईड पर उपलब्ध है।**

3.2. आयु सीमा –

- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

3.3. आई. टी. असिस्टेंट पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हे प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।

- शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

3.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का

इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

3.6 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/ सत्यापित होना चाहिए।

3.7 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

3.8 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

3.9 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

3.10 शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

3.11 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

3.12 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

3.13 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

3.14 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमाति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

3.15 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

3.16 कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3.17 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

4. नियुक्ति प्रक्रियां :– जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र HUB (DHEW) हेतु स्वीकृत पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर होंगे।

4.1 जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW) हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठन किया जाकर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। यह नियुक्ति समिति कलेक्टर को अनुशंसा करेगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

4.2 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों

के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकंन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–

4.2.1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

4.2.2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।

4.2.3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदको को 02 बोनस अंक दिए जाएगे।

4.2.4. उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

4.2.5. साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10–10 अंक होंगे।

4.2.6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

4.3 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 4.2. के उप कंडिका 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियो में साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

5. **नियुक्ति की अवधि :–**

5.1. इस पद पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

5.2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षें में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

5.3. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – बेमेतरा (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

....

....

....

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....

(अंग्रेजी में) :– ....

3. पिता / पति का नाम :– ....

4. स्थायी पता :– ....

5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....

....

दूरभाष / मोबाईल ....

6. जन्मतिथि (अंको में) :– ....

(शब्दों में) ....

7. दिनांक 01.01.2026 को आयु :– ....वर्ष, ... माह,..........................दिन,

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, :– ....

हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें :– ....

9. लिंग पुरूष / महिला :– ....

10. जाति / वर्ग (अ.जा / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य) जाति .... वर्ग ....

जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :– ....

हां, तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता :– ....

13. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....

14. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापति प्रति संलग्न करें)

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

16. अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न हां / नहीं) :– ....

क्रं.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

17. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :–

1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
3. स्नातक की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
5. जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. रोजगार पंजीयन की प्रति।
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का प्रमाण पत्र।
8. पहचान पत्र / आधार कार्ड / वोटर आईडी इत्यादि।
9. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित।

18. संलग्नों का विवरण –

1. .... 6. ....
2. .... 7. ....
3. .... 8. ....
4. .... 9. ....
5. ....10. ....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा – पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :– ....

दिनांक :– ....